उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-8/2016/क0नि0-2-391ग्यारह-9(13)/2010-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(155)-2016

लखनऊ:: दिनांक:: 04 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन 2008) की धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन शकित का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 05 अप्रैल, 2016 से सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1439ग्यारह- 9(13)2010-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(64)-2010, दिनांक 03 नवम्बर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते है:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, मद (3) निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।